न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 145/2024

वादी :–

1. हीराराम सीरवी पुत्र हापूराम सीरवी जाति सीरवी निवासी बेरा चोयलों का जूना मगरिया, बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गुदडराम पुत्र मोटाराम जाति सीरवी निवासी बेरा चोयलों का जूना मगरिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी – श्री पदमाराम चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.– 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या – 2 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 05/07/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 466 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार 154 तथा पुराने खाता संख्या 145 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 3/8 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 5/8 वां हिस्सा निहित व दर्ज है। उपरोक्त खसरा की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है व काश्त कर रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के जुबानी बंटवाड़ा हो रखा है, जिसके अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा पक्षकारान के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से तथा जुबानी बंटवाड़ा अनुसार काबिज अनुसार बंटवाड़ा करवाने के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुआ व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना विधिवत् बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जे अनुसार बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 10.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि का पड़ौस दर्शाते हुए वादी के कब्जे की भूमि को बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आया। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की जमीन तुम्हारे कब्जे के स्थान पर बताकर उसका बैचान करके रहेंगा। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि आप बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की बात को न मानकर वादी को एलानिया कहा कि ष्मै तो मेरे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए तुम्हारे कब्जे वाली भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहूंगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को उसके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 10.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के प्रतिवादी संख्या 1 को उसके हिस्सें की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नहीं करने की समझाईश करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की बात को न मानकर उल्टा वादी को इस आशय की एलानिया धमकी देने पर की वो उसके हिस्से की भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व बिना वादी की सहमति के अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगा तथा आज दिन तक विधिवत् बंटवाड़ा हेतु सहमत नही होने पर वादकारण बमुकाम ग्राम बिलाडा चक 1 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया है जो भूमि धारक है। जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए वाद से पूर्व दिये जाने वाला नोटिस प्रतिवादी संख्या 2 को दिया जाना अपेक्षित नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बिलाडा चक 1, तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से तथा दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अन्त में वादी द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 466 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में स्थित वादी के 3/8 वां हिस्से की भूमि का मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं0 1 से दिलाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाडा चक 1 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 466 रकबा 0.7847 हैक्टयर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	गुदइराम पुत्र मोटाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया (सीरवी) चोयल सा.देह खातेदार	466	0.4904
	कुल योग	1	0.4904
2	हीराराम सीरवी पुत्र हापूराम सीरवी हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया (सीरवी) सा. बेरा चोयलों का जूना मगरिया बिलाडा खातेदार	466	0.2943
	कुल योग	1	0.2943

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2025 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

हीराराम गुदडराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- **145/2024**

निर्णय **दिनांक :-** 04/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या-1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -2 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.06.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा